

राज्य सरकार द्वारा स्थाई एन.ओ.सी. प्राप्त एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

तिलक पी.जी. कॉलेज

बरसी, जयपुर-303301



नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार

विवरणिका PROSPECTUS 2024-25

बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम., एम.ए.
(सह-शिक्षा)



A Wing of Tilak Institute of Educational & Social Development



Scanned with OKEN Scanner



गणतंत्र दिवस पर कॉलेज परिसर में ध्वजारोहण करते हुए।



पश्चिम क्षेत्र विश्वविद्यालय तीरंदाजी टूर्नामेंट, भटिंडा में मिश्रित टीम मैच और टीम मैच में महाविद्यालय की छात्रा यशस्वी नाथावत कांस्य पदक प्राप्त करती हुई

दृष्टिकोण



“मुझे विश्वास है कि प्रति व्यक्ति एक प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, बस हमें ज़रूरत होती है उस प्रतिभा को निखारने की.... हमें हमेशा कुछ उपयोगी चीजों को जानने और सीखने की इच्छा रखनी चाहिए।”

शिक्षा मानव की संपूर्ण शक्तियों का प्राकृतिक प्रगतिशील और सामंजस्यपूर्ण विकास है। तिलक पी.जी. कॉलेज द्वारा बालकों में त्रिमुखी शिक्षा, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकास किया जाता है। एक अच्छी शिक्षा एक बेहतर भविष्य का निर्माण है। कॉलेज में पाठ्यक्रम शिक्षा के अतिरिक्त रोजगारोन्मुखी एवं समाजोपयोगी शिक्षा पर भी बल दिया जाता है। ताकि असल ज़िन्दगी में जीवन को कैसे जिया जाए ऐसी उत्तम शिक्षा से ही हम आने वाले कल का निर्माण कर सकते हैं।

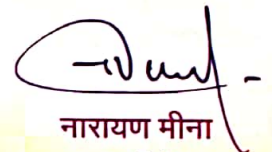
स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार “हमें ऐसी शिक्षा चाहिए, जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके।”

कॉलेज का उद्देश्य भावी छात्रों को उपाधियों से विभूषित करना ही नहीं बल्कि ऐसे नागरिक तैयार करना है, जो राष्ट्र के सामाजिक, मानवीय, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं जनतांत्रिक मूल्यों की प्राचीरों में जड़े रत्न बन सके और राष्ट्र की अस्मिता के रक्षक एवं गौरव के पोषक बन सके। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर कॉलेज की नींव रखी गयी है। समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने हेतु स्नातक स्तर से ही विद्यार्थियों को अध्ययन के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारित कर प्रतियोगी परीक्षाओं की योजनाबद्ध तैयारी करवाई जाती है, यही सफलता का मुख्य आधार है।

“मैं सदैव व्यक्तिगत रूप से आपके मार्गदर्शन व सहयोग के लिए तत्पर हूँ।”

अंत में यहीं कहूंगा कि “सीखने के लिए जुनून पैदा कीजिये, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है।”

अनंत शुभकामनाओं सहित.....


नारायण मीना
प्रबन्ध निदेशक

प्राक्कथन



प्रिय विद्यार्थियों,

कॉलेज स्तर की शिक्षा प्रारम्भ करने पर तिलक पी.जी. कॉलेज परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है। राजस्थान सरकार से स्थाई एन.ओ.सी. प्राप्त एवं राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध इस कॉलेज की स्थापना जुलाई, 2005 में तिलक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एण्ड सोशियल डवलपमेंट द्वारा की गई थी जिसमें स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी. संकाय एवं एम.ए. भूगोल, हिन्दी, राजनीति विज्ञान व इतिहास के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य ग्रामीण एवं दूर-दराज क्षेत्र के छात्र/छात्राओं को उच्च स्तर की गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाना है। युवा शक्ति को रचनात्मक दिशा प्रदान करने वाले इस पुनीत कार्य में आप सभी का सहयोग वांछित एवं अपेक्षित है।

इस कॉलेज परिवार का प्रत्येक सदस्य आपकी सहायतार्थ सदैव तत्पर है। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य श्रेष्ठ सम्बन्ध आवश्यक है। कॉलेज के अनुभवी शिक्षकों का सहयोग प्राप्त कर आप अपनी कठिनाइयों को हमारे साथ बाँट सकते हैं। प्रबन्धक समिति भी विद्यार्थी हितों को सर्वोपरि मानती है। कॉलेज में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं ने खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हुए कॉलेज का नाम रोशन किया है।

मैं कामना करता हूँ कि जीवन के सुन्दरतम काल के वे अमूल्य वर्ष जो आप इस कॉलेज में व्यतीत करने जा रहे हैं आपके सम्पूर्ण जीवन में स्मरणीय रहें। साथ ही मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपके व्यक्तित्व को निखारने, सम्पूर्णता प्रदान करने व एक श्रेष्ठ नागरिक के निर्माण में और इन सबसे ऊपर एक श्रेष्ठ महान देशभक्त बनाने में कॉलेज परिवार सतत प्रयत्नशील रहेगा।

शुभकामनाओं सहित....




माधव मीना
सचिव

प्राक्कथन

“ज्ञान का प्रकाश सर्भ

सत्र 2023-24 के नवागमन पर मैं कॉलेज अभिभावकों एवं शुभचिंतकों का अभिनन्दन करता हूँ। धरोहर है जिसमें असीम सम्भावनाएँ निहित हैं युवा दृष्टि एवं दिशा प्रदान करने का पुनीत कार्य कॉलेज द्वारा

मेरा मानना है कि तर्क संगत विचारों के बल करके व्यक्ति को सत्य-असत्य, उपयोगी-अनुपयोगी का बोध भी कराती है तथा अनुभव जनित सत्य के तिलक पी.जी. कॉलेज, बस्सी (जयपुर) अभिभावक कॉलेज प्रबन्ध समिति की उदारमना योगदान एवं सतत

उत्तम नागरिकों के निर्माण की दिशा में कॉलेज परिमार्जित कर श्रेष्ठ मानव बनाने हेतु प्रयत्नशील है प्रतिभाओं के निखार के लिए भी हर संभव प्रयास व कॉलेज परिवार का यश बढ़ाया है। एन.एस.एस. के सभी प्राध्यापकों की कठोर साधना एवं शिक्षणेत्तर उत्तम है।

मैं कॉलेज परिवार की ओर से पुनः नवागमन स्थापित शिक्षा एवं अनुशासन के उद्दात मूल्यों का हूँ कि कॉलेज परिवार आपको एक समृद्ध एवं उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं सहित....


Dr. Manoj Sain
Principal





प्राचार्य की कलम से...

“ज्ञान का प्रकाश सभी अंधेरो को खत्म कर देता है।” -स्वामी विवेकानंद

सत्र 2023-24 के नवागमन पर मैं कॉलेज में प्रवेश लेने वाले सभी छात्र-छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा उनके अभिभावकों एवं शुभचिंतकों का अभिनन्दन करता हूँ। जिन्होंने इस कॉलेज में प्रवेश हेतु विश्वास अभिव्यक्त किया। युवा ही राष्ट्र की वह धरोहर है जिसमें असीम सम्भावनाएं निहित हैं युवा शक्ति राष्ट्र के समग्र विकास में अपना योगदान देती है। छात्र-छात्राओं की ऊर्जा को दृष्टि एवं दिशा प्रदान करने का पुनीत कार्य कॉलेज द्वारा किया जाना प्राथमिक स्तर पर अपेक्षित होता है।

मेरा मानना है कि तर्क संगत विचारों के बल पर सृष्टि में कुछ नया करने की प्रेरणा का स्रोत शिक्षा है। शिक्षा ही समझ का विकास करके व्यक्ति को सत्य-असत्य, उपयोगी-अनुपयोगी एवं जीवन के शाश्वत सत्य से अवगत कराती है और शिक्षा ही “सत्यम शिवम सुन्दरम्” का बोध भी कराती है तथा अनुभव जनित सत्य के ज्ञान से लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त कराती है। यह कॉलेज का सौभाग्य है कि तिलक पी.जी. कॉलेज, बस्सी (जयपुर) अभिभावकों एवं छात्र-छात्राओं की प्रथम वरीयता है। कॉलेज के स्थापना से वर्तमान तक कॉलेज प्रबन्ध समिति की उदारमना योगदान एवं सकारात्मक ऊर्जा सदैव छात्र-छात्राओं के शैक्षिक उत्थान हेतु समर्पित रही है।

उत्तम नागरिकों के निर्माण की दिशा में कॉलेज छात्र-छात्राओं के शैक्षिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक कौशल को परिमार्जित कर श्रेष्ठ मानव बनाने हेतु प्रयत्नशील है। वहीं उनके शारीरिक विकास हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनकी खेल प्रतिभाओं के निखार के लिए भी हर संभव प्रयास कर रहा है। अन्तर कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर पर कॉलेज की अनेक प्रतिभाओं ने कॉलेज परिवार का यश बढ़ाया है। एन.एस.एस. के माध्यम से छात्र-छात्राएँ राष्ट्र सेवा में स्वयं को समर्पित करने में समर्थ हैं। कॉलेज के सभी प्राध्यापकों की कठोर साधना एवं शिक्षणेत्तर साथियों के परस्पर सहयोग से कॉलेज का अनुशासन समृद्ध है तथा शैक्षिक वातावरण उत्तम है।

मैं कॉलेज परिवार की ओर से पुनः नवागन्तुक छात्र-छात्राओं का स्वागत करता हूँ तथा उनसे अपेक्षा करता हूँ कि वे कॉलेज में स्थापित शिक्षा एवं अनुशासन के उद्दात मूल्यों का निर्वाहन करते हुये कॉलेज की गरिमा के अनुरूप आचरण करेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कॉलेज परिवार आपको एक समृद्ध एवं उज्ज्वल भविष्य प्रदान करने हेतु सदैव तत्पर है और रहेगा। आपको सृजनात्मक एवं उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं सहित....

Dr. Manoj Sain
Principal





From the Vice Principal's Desk...

"Education is the most important element for growth and prosperity of a nation." -A.P.J. Abdul Kalam

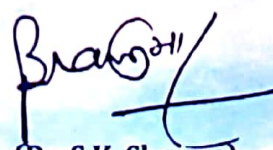
Welcome to one of the progressive and innovative college in Bassi region. Tilak P.G. College is one of the premier academic institutions, committed to achieve the highest academic standards. Tilak P.G. College offers various faculties affiliated by University of Rajasthan. This College has blossomed into a center of excellence carving out a niche for itself on the academic map of jaipur rural. The Institute is well set to transform its students towards educational, cultural, physical and spiritual excellence.

The College located on a spacious and green campus in the heart of Bassi town comprises of a five story grand building, a sprawling sports ground academic and administrative infrastructure which manned by an efficient staff.

The responsibility of formal academic is very competently carried out by a highly qualified staff and is beautifully complimented by the varied co- curricular and extra- curricular activities that help nurture the all-round personality of our students. The spread of TPGC'S alumni all over India, occupying seminal position in state and central govt.

The College has geared up to incorporate new opportunities in the field of education, research, sports and cultural activities. Besides organizing seminars, conferences and guest lectures to keep abreast of the latest in the world of industry and trade. The College also takes care of student's progression by collaborating with well known institutions and companies for research and recruitment.

I humbly appeal one and all to work jointly with great enthusiasm and gusto and take Tilak P.G. College towards national and international standards. I invite all the stakeholders, students, teaching and non-teaching staff, parents, alumni, well-wishers and everyone in society at large to join us in making of our academic celebration a memorable one...


(Dr. S.K. Sharma)
Vice Principal



कॉलेज में स्थित विभिन्न प्रयोगशालाएँ



कॉलेज द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालयी तीरंदाजी प्रतियोगिता



विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते कॉलेज के छात्र/छात्राएँ



कॉलेज द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की झलकियाँ



Semester Wise Subject & Paper Name

B.A. SEMESTER-I EXAM DECEMBER	B.A. SEMESTER-II EXAM JUNE
1. (SEC-101) Computer Fundamentals 2. (VAC-101) Anandam 3. (AEC-101) Foundations of English Language a Comprehensive Introuction-I 4. (AEC-102) Samanya Hindi (Vyakaran) 5. (GEO-101) Physical Geography 6. (HIS-101) History of India (From the Beginning Upto 1200 C.E.) 7. (POL-101) Foundations of Political Science 8. (HIN-101) Adikavya and Bhaktikavya 9. (ENG-101) Poetry and Drama-I 10. (ECO-101) Principles of Microeconomics 11. (SOC-101) Exploring Sociology	1. (SEC-102) Introduction to Office Productivity Software 2. (VAC-101) Anandam-II 3. (AEC-101) Foundations of English Language a Comprehensive Introuction-II 4. (AEC-104) Samanya Hindi (Sahitya) 5. (HIS-102) History of Modern World 6. (POL-102) Indian Political Thought 7. (GEO-103) Human Geography 8. (HIN-102) Kanahi Evam Upanyaas 9. (ENG-102) Prose and Fiction-I 10. (ECO-102) Indian Economy 11. (SOC-102) Basic Concept in Sociology
B.Com. SEMESTER-I EXAM DECEMBER	B.Com. SEMESTER-II EXAM JUNE
1. (SEC-101) Computer Fundamentals 2. (VAC-101) Anandam 3. (AEC-101) Foundations of English Language: A Comprehensive Introduction-I 4. (AEC-102) Samanya Hindi (Vyakaran) 5. (BDM-101) Principles of Business Management 6. (EFM-101) Business Economics 7. (ABS-101) Financial Accounting	1. (SEC-102) Introduction to Office Productivity Software 2. (VAC-101) Anandam-II 3. (AEC-103) Foundations of English Language: A Comprehensive Introduction-II 4. (AEG-104) Samanya Hindi (Sahitya) 5. (ABS-102) Business Statistics 6. (BDM-102) Business Laws 7. (EFM-102) Indian Banking and Financial System
B.Sc. BIO GROUP SEMESTER-I EXAM DEC.	B.Sc. BIO GROUP SEMESTER-II EXAM MAY
1. (SEC-101) Computer Fundamentals 2. (VAC-101) Anandam 3. (AEC-101) Foundations of English Language: A Comprehensive 4. (AEC-102) Samanya Hindi (VYAKARAN) 5. (BOT-101) Diversity of Plant Kingdom 6. (ZOO-101) Animal Diversity 7. (CHM-101) Structure-Bonding, Mathematical Concept and States of Matter 8. (GEO-101) Physical Geography-I	1. (SEC-102) Introduction to Office Productivity Software 2. (VAC-101) Anandam-II 3. (AEC-103) Foundations Of English Language: A Comprehensive Introduction-II 4. (AEC-104) Samanya Hindi (SAHITYA) 5. (BOT-155) Cell Biology, Molecular Biology And Genetics 6. (CHM-103) Reaction Mechanism, Stereochemistry, Aromatic Hydrocarbon and Chemical Kinetics 7. (ZOO-201) Comparative Anatomy and Developmental Biology of Vertebrates 8. (GEO-103) Human Geography

B.Sc. MATH

1. (PHY-101) Mechanics and Oscillations

2. (CHM-101) Structure-Bonding, Mathematical, Concept and States of Matter

3. (MAT-101) Discrete Mathematics and Optimization Techniques

1. (CHM-103) Reaction Mechanism, Stereochemistry Aromatic Hydrocarbon and Chemical Kinetics

2. (PHY-103) Electromagnetism

3. (MAT-103) Calculus

राजस्थान विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली आधारित स्नातक पाठ्यक्रमों की रूपरेखा

- सभी विद्यार्थियों (नव प्रवेशित व पूर्व प्रवेशित) के लिए ए.बी.सी. आईडी बनाना अनिवार्य है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के स्नातक कार्यक्रमों के लिए पाठ्यक्रमों एवं क्रेडिट रूपरेखा के अनुरूप सत्र 2024-25 से राजस्थान विश्वविद्यालय के कला/वाणिज्य/विज्ञान/ललित कला/सामाजिक विज्ञान संकाय से संबंधित समस्त स्नातक पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली प्रारम्भ की गयी है।
- सेमेस्टर प्रणाली में स्नातक पाठ्यक्रम तीन वर्ष का होगा।
- प्रत्येक वर्ष में दो सेमेस्टर होंगे। नियमित छात्रों की विषय सेमेस्टर (अर्थात प्रथम, तृतीय, पंचम तथा सप्तम) की परीक्षा दिसम्बर माह में तथा सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम तथा अष्टम) की परीक्षा मई माह में आयोजित होगी।
- मुख्य विषयों के अतिरिक्त विद्यार्थी को प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर में योग्यता वृद्धि पाठ्यक्रम (AEC) के अन्तर्गत हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की परीक्षा देनी होगी। इसी प्रकार प्रथम वर्ष के लिए विश्वविद्यालय द्वारा जारी मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (VAC) तथा कौशल वर्धित पाठ्यक्रम (SEC) की सूची में से पाठ्यक्रमानुसार प्रत्येक सेमेस्टर जिसे निम्न सारणी द्वारा समझा जा सकता है :-

	मुख्य विषय 1	मुख्य विषय 2	मुख्य विषय 3	योग्यता वर्धित कार्यक्रम	मूल्य वर्धित पाठ्यक्रम (चयनित एक विषय)	कौशल वृद्धि प्रामांक (चयनित एक विषय)	कुल
क्रेडिट	6 या 4 (सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4 (सैद्धा)+2(प्रा)	6 या 4 (सैद्धा)+2(प्रा)	हिन्दी (2) अंग्रेजी (2)	2	2	26
अंक	150 या 100 (सैद्धा)+50(प्रा)	150 या 100 (सैद्धा)+50(प्रा)	150 या 100 (सैद्धा)+50(प्रा)	हिन्दी (50) अंग्रेजी (50)	50	50	650

- प्रत्येक विषयों/प्रश्न पत्रों में क्रेडिट हासिल करने के लिए विद्यार्थी को न्यूनतम सी-ग्रेड (40 प्रतिशत) अंक हासिल करने होंगे।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में छात्रों की प्रगति का आंकलन एवं शैक्षिक विकास के लिए निरन्तर मूल्यांकन को लागू किया गया है। अतः नियमित छात्रों के लिए सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज (SGPA) में प्रत्येक पाठ्यक्रम के दो घटक हैं- सतत् मूल्यांकन (CA) (20 प्रतिशत भार) तथा सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80 प्रतिशत भार)

	4-क्रेडिट सैद्धान्तिक तथा 2-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम			2-क्रेडिट सैद्धान्तिक तथा 4-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम			6-क्रेडिट सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	2-क्रेडिट सैद्धान्तिक पाठ्यक्रम	2-क्रेडिट प्रायोगिक पाठ्यक्रम
	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	कुल	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	कुल	सैद्धान्तिक	सैद्धान्तिक	प्रायोगिक
सतत् मूल्यांकन (CA)(20% भार)	20	10	30	10	20	30	30	10	10
सेमेस्टर के अंत में परीक्षा (EoSE) (80% भार)	80	40	120	40	80	120	120	40	40
कुल	100	50	150	50	100	150	150	50	50

8. नियमित छात्रों को पाठ्यक्रम के सेमेस्टर के अन्त में परीक्षा (EoSE) में पात्रता हासिल करने के लिए विद्यार्थी को सतत मूल्यांकन में न्यूनतम सी-ग्रेड (C-GRADE) (40 प्रतिशत) अंक तथा न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति हासिल करना आवश्यक होगा।
9. सतत मूल्यांकन (CA) के निम्नांकित तीन घटक हैं-
 - (I) मध्यावधि परीक्षा (Midterm Examination) (सतत मूल्यांकन अंकों का 50 प्रतिशत भार)
 - (II) असाइनमेंट (Assignment) (सतत मूल्यांकन अंकों का 25 प्रतिशत भार)
 - (III) उपस्थिति (Attendance) (सतत मूल्यांकन अंकों का 25 प्रतिशत भार)
10. विषम सेमेस्टर (प्रथम, तृतीय, पंचम, सप्तम) से सम सेमेस्टर (द्वितीय, चतुर्थ, षष्ठम, अष्टम) में सभी विद्यार्थियों का उन्नयन (Promotion) किया जायेगा।
11. वर्तमान वर्ष से अगले वर्ष में पदोन्नति के लिए पिछले वर्ष के सभी निर्धारित पाठ्यक्रमों को न्यूनतम सी (C) ग्रेड (100%) के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
12. पाठ्यक्रम से निकास एवं प्रवेश की नीति-
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत विद्यार्थी के पास किसी पाठ्यक्रम से एकाधिक निकास एवं प्रवेश की सुविधा निम्न प्रकार प्रदान की गई है :-
 - (I) जो छात्र प्रथम वर्ष के पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनने हेतु प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित 52 क्रेडिट में से न्यूनतम 48 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटरनशिप (Internship) पूरी करनी होगी तथा ऐसे विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) दिया जाएगा।
 - (II) जो छात्र द्वितीय वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनने हेतु प्रथम व द्वितीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 104 क्रेडिट में से न्यूनतम 96 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटरनशिप (Internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को डिप्लोमा दिया जाएगा।
 - (III) जो छात्र तृतीय वर्ष पूरा होने के बाद स्नातक पाठ्यक्रम से बाहर निकलने का विकल्प चुनते हुए प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के लिए निर्धारित कुल 150 क्रेडिट से न्यूनतम 146 क्रेडिट प्राप्त होने व गर्मी की छुट्टियों में 04 क्रेडिट की इंटरनशिप (Internship) पूरा करना होगा तथा ऐसे विद्यार्थियों को स्नातक डिग्री प्रदान की जायेगी।
 - (IV) प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष में पाठ्यक्रम से बाहर निकलने वाले छात्र तीन साल के अन्तराल में स्नातक पाठ्यक्रम के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्ष में पुनः प्रवेश ले सकेंगे किन्तु अधिकतम सात वर्ष की अवधि में स्नातक पाठ्यक्रम को पूरा करना होगा।
13. राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप सेमेस्टर प्रणाली के समस्त स्नातक पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को 04 क्रेडिट की इंटरनशिप (Internship) पूरी करनी अनिवार्य होगी। इंटरनशिप (Internship) को विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर जारी इंटरनशिप (Internship) से सम्बंधित दिशा निर्देशानुसार पूरी करने की जिम्मेदारी पूर्णरूप से विद्यार्थी की होगी। विद्यार्थी को इंटरनशिप (Internship) प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष के मध्य गर्मी की छुट्टियों में कभी भी पूर्ण करनी होगी।

स्नातकोत्तर (पी.जी.) पाठ्यक्रम एवं स्थान

पाठ्यक्रम	हिन्दी साहित्य	राजनीति विज्ञान	भूगोल	इतिहास
स्थान	40	60	40	60

शैक्षणिक सत्र सारिणी

प्रथम भाग - प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक प्रथम सेमेस्टर :-

1. ऑन लाइन/ऑफ लाइन आवेदन-पत्र भरने की तिथि
2. आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि
3. कॉलेज द्वारा आवेदन-पत्रों का ऑन लाइन/ऑफ लाइन सत्यापन
4. (अ) अन्तिम वरियता सूची व प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन
(ब) अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन
6. प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन
7. कॉलेज में ऑनलाइन/ऑफलाइन शिक्षण कार्य प्रारंभ

श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए पुनः प्रवेश कार्यक्रम :-

8. रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश हेतु आवेदन प्रारम्भ करने की तिथि
9. रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि
10. प्राप्त आवेदन-पत्रों के सत्यापन की अंतिम तिथि
11. (अ) रिक्त स्थानों के अन्तरिम प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन
(ब) अभ्यर्थियों के द्वारा मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करवाने की अंतिम तिथि
(स) अभ्यर्थियों के द्वारा बैंक/कॉलेज में शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि
12. प्रवेशित अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन
13. नव-प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण एवं विषय आवंटन
14. संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि
15. समस्त प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि

(ब) स्नातकोत्तर (पूर्वाद्ध) स्तर पर प्रथम प्रवेश :-

1. ऑन लाइन/ऑफ लाइन आवेदन-पत्र भरने की तिथि
2. आवेदन-पत्र जमा/प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि
3. प्रथम अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन
4. अन्तरिम प्रवेश सूची के अभ्यर्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ
7. एम.ए. भूगोल में प्रवेश हेतु स्नातक में भूगोल विषय अनिवार्य है।
8. स्नातक पार्ट द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर उत्तराद्ध/पूर्व छात्र द्वारा शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि

आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार

आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार

आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार

आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार
आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार

आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

" " "

नोट :- स्नातक स्तर पर प्रथम सेमेस्टर एवं स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों से 200 प्रतिशत वरीयता सूची सामान्य व आरक्षित वर्गों के लिए अलग-अलग प्रकाशित की जायेगी। कॉलेज में उपलब्ध स्थानों तक वरीयता के आधार पर प्रवेश योग्य छात्रों से शुल्क की राशि नकद अथवा बैंक चालान/ऑनलाईन द्वारा ली जायेगी और वरीयता सूची में दर्शाये गये शेष 50 प्रतिशत छात्रों से शुल्क की राशि ड्राफ्ट के रूप में ली जायेगी, क्योंकि ऐसे छात्रों का प्रवेश स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही सम्भव हो सकेगा। इन 50 प्रतिशत छात्रों में से केवल उन छात्रों के ड्राफ्ट प्रवेश हेतु वरीयता क्रम में कॉलेज कोष में अन्तिम रूप से जमा किये जायेंगे, जितने स्थान शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि के बाद रिक्त रहेंगे, शेष छात्रों के ड्राफ्ट वापिस लौटा दिये जायेंगे। यदि किसी कारणवश कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो अगले तीन दिन में उनके स्थान भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। यह सूचना कॉलेज के सूचना पट्ट पर भी लगा दी जाएगी। शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि के अगले दिन सभी विद्यार्थियों को कार्यालय में सम्पर्क कर अपने प्रवेश की सुनिश्चितता ज्ञात करनी होगी।

(स) स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण :-

स्नातक तृतीय सेमेस्टर एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) प्रवेश के लिए सत्र 2024-25 में कॉलेज का नियमित अथवा पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेंट) होना या विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य घोषित करना ही पर्याप्त है। बशर्ते उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो तथा सभी बकाया शुल्क अदा कर दिए हों।

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. अण्डर टेकिंग प्रपत्र का वितरण | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 2. अण्डर टेकिंग प्रपत्र जमा कराने की तिथि | " " " |
| 3. शिक्षण प्रारम्भ | " " " |

नोट :-

1. स्नातक तृतीय सेमेस्टर एवं तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) की कक्षाओं में प्रवेश कार्यक्रम एवं अध्यापन कार्य तथा उपस्थिति आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार रहेगी।
2. सभी प्रवेश योग्य छात्रों को घोषित दिनांक तक कॉलेज कार्य दिवसों में वांछित फीस नगद कार्यालय में एक अण्डरटेकिंग के साथ जमा करवाना होगा। अण्डरटेकिंग का प्रपत्र कॉलेज द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 7 दिन पश्चात प्रवेश शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा तथा उनके द्वारा जमा कराया गया शुल्क, वापस लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणियाँ :-

1. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाईड डेट) तक शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरान्त एवं प्रवेश हेतु और कोई भी फॉर्म उपलब्ध न होने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जाये, तो प्राचार्य द्वारा इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त स्थानों की सूचना कॉलेज के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाने वाली इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में यह स्थान रिक्त हैं, तथा नवीन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा। यदि इन रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलीयर को छोड़कर) हेतु आरक्षित स्थान भी उपलब्ध हों तो उनका विवरण भी अंकित किया जायेगा। यदि टिप्पणी (1) में उल्लेखित अभ्यर्थी भी प्रवेश लेना चाहें तो उन्हें उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त समस्त नये आवेदन पत्रों में से प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों को कक्षा/वर्ग में उपलब्ध स्थानों पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलीयर को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को उनके लिए आवंटित नियतांश (कोटा) पूरा न होने की स्थिति में प्रवेश नीति के पृष्ठ भाग 6.1 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये।

द्वितीय भाग – सत्र की गतिविधियाँ एवं अवकाश

- | | |
|---|---|
| 1. वर्ष 2024-25 के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण एवं प्रकाशन | विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा |
| 2. शैक्षणिक सत्र आरम्भ एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 3. अध्यापन कार्य | |
| (अ) स्नातक तृतीय सेमेस्टर, तृतीय वर्ष, स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| (ब) स्नातक प्रथम सेमेस्टर | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| (स) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 4. नियमित व पूर्व छात्रों द्वारा परीक्षा व नामांकन फॉर्म भरना | विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 5. पूरक परीक्षाओं की समाप्ति | विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 6. मिड टर्म टेस्ट | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 7. दशहरा अवकाश | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 8. दीपावली अवकाश | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 9. प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर परीक्षा | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 10. शीतकालीन अवकाश | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 11. मिड टर्म टेस्ट | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 12. शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 13. द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएँ | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 14. स्नातकोत्तर | विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार |
| 15. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |
| 16. परीक्षा परिणामों की घोषणा | विश्वविद्यालय के द्वारा घोषित कार्यक्रमानुसार |
| 17. नवीन सत्रारम्भ | आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार |

टिप्पणियाँ :-

1. राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा कॉलेज द्वारा कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणेत्तर गतिविधियाँ आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारणी में कॉलेज स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार की जायेगी। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएँ यथावत चलेंगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं।

प्रवेश सम्बन्धी नियम

1. कॉलेज में जितने स्थान निश्चित है, उतने ही स्थानों पर नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।
2. प्रवेश प्राप्त करने के लिए आवेदन, निर्धारित आवेदन पत्र पर ही जो इस पुस्तिका के साथ संलग्न है, करना होगा। प्रवेश नहीं मिलने की स्थिति में आवेदन-पत्र नहीं लौटाया जाएगा।
 - (i) कॉलेज की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश कॉलेज द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार प्रारम्भ होगा। प्रवेश लेते समय छात्र/छात्रा अपना आवेदन-पत्र सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि तक घोषित नहीं होते हैं, वे छात्र कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियमों के अनुसार अपने आवेदन-पत्र प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकेंगे।
 - (ii) प्रवेश हेतु कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्धारित तिथि ही अंतिम होगी। किन्तु यदि स्थान पहले ही भर जायेंगे तो प्रवेश बंद कर दिये जायेंगे।
 - (iii) अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. प्रवेशार्थी आवेदन-पत्र भरते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की स्वःसत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न करेंगे :-
 - (i) नव प्रवेशार्थियों को, जिन्होंने अन्तिम परीक्षा किसी अन्य शिक्षण संस्था से नियमित छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है-
 - (क) अन्तिम संस्था के स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित मूल प्रतिलिपि।
 - (ख) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
 - (ग) मूल चरित्र प्रमाण-पत्र।
 - (घ) आय प्रमाण-पत्र (अभिभावक के राजकीय सेवा में होने पर वेतन अधिकारी (From No. 16) एवं निजी या कृषि कार्य से आजीविका होने पर समाज कल्याण विभाग द्वारा अधिकृत प्रारूप में आय प्रमाण-पत्र)।
 - (ङ) राजस्थान विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर से आने वाले प्रवेशार्थियों को मूल प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) भी प्रस्तुत करना होगा।
 - (च) यदि प्रवेशार्थी ने सह-शैक्षिक गतिविधियों में भाग लिया है तो उनके प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें।

नोट:- यदि किसी छात्र को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठना है या उसे कॉलेज में प्रवेश के पश्चात् अपनी अंक तालिका की प्रतिलिपि की आवश्यकता होती है तो उसे अपनी मूल अंक तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि करा कर अपने पास रख लेनी चाहिए। कार्यालय में मूल अंक तालिका जमा हो जाने पर उसे नामांकन के लिए विश्वविद्यालय भेजा जायेगा तथा वह छात्र को विश्वविद्यालय से वापिस आने पर ही लौटाई जाएगी।

 - (ii) उन प्रवेशार्थियों को, जिन्होंने अन्तिम परीक्षा स्वयंपाठी (Non-Collegiate) छात्र के रूप में उत्तीर्ण की है -
 - (क) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका की दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।
 - (ख) विश्वविद्यालय या बोर्ड की अन्तिम परीक्षा के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।
 - (ग) दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा दिया गया चरित्र प्रमाण-पत्र जो 3 माह से अधिक पुराना न हो (प्रमाण-पत्र देने वाले व्यक्ति छात्र के संबंधी न हों)।
 - (iii) वे प्रवेशार्थी जो पूर्व छात्र हैं अथवा इसी कॉलेज के नियमित छात्र हैं, आवेदन-पत्र के साथ मूल अंक तालिका की एक प्रमाणित प्रतिलिपि लगायें।
 - (iv) यदि छात्र अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति वर्ग का है तो उसकी पुष्टि हेतु जिला कलेक्टर/उप जिला कलेक्टर का प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
 - (v) खेल आदि में विशेष योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें, जिसके आधार पर बोनस अंक प्रतिशत चाहा गया है।

4. विभिन्न कक्षाओं में (जिनके अध्यापन के लिए कॉलेज, राजस्थान विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है) प्रवेश के पात्र छात्रों की योग्यता सूची बनाकर वरीयता क्रम में प्रवेश दिये जायेंगे तथा प्रवेश आदि के लिए विश्वविद्यालय तथा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति एवं विशेष पिछड़ी जाति तथा शारीरिक रूप से अपंग छात्रों के लिए स्थानों का आरक्षण/अंकों में रियायत आदि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर किया जायेगा।
6. नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तदनुसार संशोधित नियम ही लागू होंगे।
7. स्नातक प्रथम सेमेस्टर/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता :-

टिप्पणियाँ :-

क्र.सं.	संकाय	पाठ्यक्रम	पात्रता	प्रतिशत
1.	कला	प्रथम सेमेस्टर	राजस्थान में अवस्थित किसी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम	45%
2.	वाणिज्य	प्रथम सेमेस्टर	राजस्थान में अवस्थित किसी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम	45%
3.	विज्ञान	प्रथम सेमेस्टर	राजस्थान में अवस्थित किसी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम	48%
4.	कला	एम.ए. पू.	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा में	48%

- नोट : 1. एम.ए. भूगोल पूर्वार्द्ध में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर भूगोल विषय होना अनिवार्य है।
2. कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात् दो या दो से अधिक वर्ष का नेशनल काउंसिल फार वोकेशनल ट्रेनिंग (NCVT) से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान/राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल, जयपुर से 12वीं के लिये निर्धारित कोर्स के अनुसार अंग्रेजी विषय की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उन्हें आगे की शिक्षा में प्रवेश हेतु 12वीं उत्तीर्ण के समकक्ष माना जायेगा। (यह समकक्षता उसी स्थिति में देय होगी जब अंग्रेजी व आई.टी.आई. की अंतिम वर्ष की परीक्षा एक ही वर्ष में उत्तीर्ण की हो अथवा अंग्रेजी की परीक्षा आई.टी.आई. करने के पश्चात् उत्तीर्ण की हो।)
 3. कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के पश्चात् किसी भी मान्यता प्राप्त पोलोटेक्निक कॉलेज से 3 वर्ष का AICTE से मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने पर उन्हें कक्षा 12वीं के समकक्ष माना जायेगा।
 4. कृषि पाठ्यक्रम से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जाएगा।
 - क. कॉलेज में समस्त प्रवेश योग्य छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा में स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें निदेशक कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुए उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा।
 - ख. राजस्थान के बाहर के प्रत्येक प्रत्याशी, जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हों, के लिए न्यूनतम प्राप्तांक 60 प्रतिशत होगा।
 8. उन छात्रों को भी, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पूरक परीक्षा में बैठने वाले हों, आगामी कक्षा में प्रवेश मिल सकता है। यह प्रवेश छात्र/छात्रा के स्वयं के उत्तरदायित्व पर होगा। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद उनका नियमित प्रवेश नहीं हो सकेगा। ऐसे प्रवेशार्थियों की उपस्थिति कॉलेज में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से गिनी जायेगी। ऐसे छात्र/छात्रा पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर अपनी मूल अंक तालिका व उसकी दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ कार्यालय में जमा करा दें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनका नामांकन (Enrollment) आवेदन-पत्र विश्वविद्यालय को नहीं भेजा जायेगा तथा छात्र/छात्रा जिसका नामांकन विश्वविद्यालय में नहीं होता है, परीक्षा में बैठने का अधिकारी नहीं होगा।
 9. गैर कॉलेजों के छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय व शिक्षा विभाग के नियमों के अनुसार तथा स्थान रिक्त रहने पर ही प्रवेश दिया जा सकता है एवं अन्य कॉलेज के छात्र/छात्राओं को सम्बन्धित कॉलेज से एन.ओ.सी. लानी होगी।

10. आवेदन पत्र पर छात्र/छात्रा के पिता/पति/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रवेशार्थी को होगा।
11. यदि प्रवेशार्थी आवेदन-पत्र के साथ किसी भी आवश्यक प्रमाण-पत्र को प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसे सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जायेगा परन्तु प्राचार्य विशेष स्थिति में अस्थायी प्रवेश दे सकते हैं, प्रवेशार्थी के स्वयं ही प्रवेश तिथि के पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर आवश्यक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश को स्थायी करा लेना होगा। निश्चित समय के बाद भी प्रार्थना पत्र अपूर्ण रहने पर बिना सूचना दिये भी प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। इसे संबंधित विद्यार्थी कृपया नोट कर लें।
12. जिन छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाएगा, उन्हें निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा कराकर उसकी रसीद, प्रवेश-पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड प्राप्त कर लेना चाहिए। निर्धारित तिथि तक प्रवेश शुल्क जमा न होने पर प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।
13. किसी भी आवेदक का प्रवेश तब ही पूर्ण माना जाएगा जबकि वह प्रवेश की सभी शर्तों की पूर्णतः पालना करता हो।
14. प्रवेश हो जाने पर फीस की रसीद प्रस्तुत कर कार्यालय से अपना परिचय-पत्र प्राप्त कर लें। इसे कॉलेज में सदैव अपने साथ रखना होगा।
15. प्रवेश के बाद कार्यालय से प्रवेश-पत्र प्राप्त 3 दिन में संबंधित विषय प्राध्यापकों को दिखाकर उपस्थिति रजिस्टर में नाम लिखवाना होगा।
16. प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक वर्ष प्रवेश पत्र प्राप्त करते ही कॉलेज द्वारा एक आई.डी. नम्बर दिया जाता है जिसे वह अपने नाम के साथ सत्रान्त तक प्रयोग करेगा। सभी प्रकार के आवेदनों में नाम के साथ कॉलेज आई.डी. नम्बर देना आवश्यक है।
17. विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में नामांकन (Enrollment) कराना अनिवार्य है, जो कि एक बार ही होता है।
18. राजस्थान बोर्ड/विश्वविद्यालय से अन्तिम परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र को राजस्थान विश्वविद्यालय में नामांकन कराने हेतु आवेदन पत्र के साथ प्रवजन प्रमाण-पत्र (Migration Certificate) भी लगाना आवश्यक है।
19. कॉलेज में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया या उसने कॉलेज का अनुशासन भंग किया अथवा उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई सूचना असत्य पाई गई या उसने कॉलेज नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं ने हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा तथा उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा और अगले वर्ष प्रवेश प्राचार्य के विवेक पर निर्भर करेगा।
20. सेवारत प्रार्थी अपने नियोक्ता अधिकारी का अनुमति पत्र संलग्न करें अन्यथा उसका प्रवेश अवैध समझा जाएगा, जिसके लिए प्रार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
21. विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षा निदेशालय से प्राप्त प्रवेश संबंधी नियम आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वतः मान्य होंगे।
22. प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को, बिना कोई कारण बताये, प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं।

शुल्क विवरण

वार्षिक शुल्क	बी.ए. पार्ट I	बी.ए. पार्ट II	बी.ए. पार्ट III	एम.ए. पू./उ.	एम.ए. भूगोल पू./उ.	बी.कॉम. पार्ट I	बी.कॉम. पार्ट II	बी.कॉम. पार्ट III	बी.एससी पार्ट I	बी.एससी पार्ट II	बी.एससी पार्ट III
एक साथ	₹6800	₹7000	₹7000	₹7500	₹10500	₹7500	₹8000	₹8000	₹16000	₹16000	₹16000

- नोट : 1. प्रायोगिक विषय भूगोल एवं मनोविज्ञान लेने वाले को कक्षा बी.ए. पार्ट-I, II, III में 1000/- उपर्युक्त फीस के अतिरिक्त देने होंगे।
2. विज्ञान संकाय में दो किस्तों में शुल्क जमा कराने पर ₹ 200/- तीन किस्तों में ₹ 300/- अतिरिक्त देने होंगे।
3. कला व वाणिज्य संकाय में दो किस्तों में शुल्क जमा कराने पर ₹ 100/- तीन किस्तों में ₹ 150/- अतिरिक्त देने होंगे।

2. अन्य शुल्क

1. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र	₹ 100/-	2. चरित्र प्रमाण-पत्र	₹ 100/-
3. परिचय-पत्र (दूसरी प्रति)	₹ 100/-	4. पुनः प्रवेश शुल्क	₹ 100/-
5. प्रवेश विलम्ब शुल्क	₹ 50/-	6. विषय परिवर्तन	₹ 200/-
7. ऑनलाईन एप शुल्क	₹ 100/-	8. प्रवेश पंजीकरण शुल्क	₹ 1000/- (Non Refundable)

3. विश्वविद्यालय शुल्क

1. नामांकन एवं पात्रता शुल्क एवं वार्षिक परीक्षा शुल्क विश्वविद्यालय नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा।

शुल्क सम्बन्धी नियम

1. शिक्षक शुल्क पूरे सत्र का जमा कराना होगा। प्रवेश चाहे सत्र के किसी भी दिन हुआ हो।
2. छात्रवृत्ति हेतु शुल्क का रसीद पूरा शुल्क जमा करवाने पर ही दी जायेगी।
3. चैक अनादरित (Return) होने पर बैंक शुल्क एवं विलम्ब शुल्क छात्र द्वारा देय होगा।
4. प्रवेश के पश्चात् किसी भी स्थिति में शुल्क या उसका अंश वापस नहीं लोटाया जायेगा यदि आपने कहीं अन्यत्र आवेदन कर रखा है तो उसके प्रवेश निस्तारण के बाद ही निर्धारित तिथि तक शुल्क जमा करावें।
5. विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म एवं छात्रवृत्ति फार्म पूरा शुल्क जमा करवाने पर ही अग्रेषित किया जायेगा।
6. किसी अन्य विश्वविद्यालय / बोर्ड के छात्र / छात्राओं को पात्रता शुल्क प्रवजन प्रमाण-पत्र के साथ जमा कराना होगा।
7. प्रत्येक छात्र को चाहिये कि कॉलेज में जमा शुल्क की सभी रसीदें जब तक कॉलेज में अध्ययन करता है सुरक्षित रखें।

शुल्क मुक्ति, छात्रवृत्ति तथा वृत्तिका

1. छात्र/छात्रा को शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य किसी भी शुल्क में मुक्ति नहीं दी जाती है।
2. गरीब एवं बी.पी.एल. छात्र/छात्राओं को शिक्षण शुल्क में छूट प्रबन्ध समिति द्वारा गठित समिति के नियमों के अनुसार होगी। शिक्षण शुल्क मुक्ति के लिए निर्धारित प्रपत्र पर घोषित दिनांक तक कार्यालय में आवेदन करना होगा।
3. इस कॉलेज में योग्य और निर्धन छात्रों को पुस्तकों के रूप में या विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क के रूप में सहायता दी जाती है। यह सहायता छात्र-सहायता कोष व अन्य साधनों से दी जाती है।
4. छात्रों को केन्द्रीय व राज्य सरकारों, सैनिक मण्डल व अन्य स्थानीय संस्थाओं से छात्रवृत्ति दिलाने की व्यवस्था भी की जाती है। इच्छुक छात्र इस सम्बन्ध में कार्यालय से सम्पर्क करें व समय पर आवश्यक आवेदन-पत्र पूरे विवरण सहित प्रस्तुत करें।
5. उन छात्र/छात्राओं, जिन्हें छात्रवृत्ति या वृत्तिकाएँ दी जाती हैं, शिक्षण शुल्क से मुक्ति नहीं मिलेगी।
6. कॉलेज किसी भी प्रकार की उपर्युक्त शैक्षणिक सुविधा केवल उन्हीं छात्र/छात्राओं को प्रदान करता है जो सदाचारी हों, नियमित हों तथा जिनकी शैक्षणिक प्रगति संतोषप्रद हो।
7. असंगत व्यवहार, उपस्थिति में अनियमितता व अशिष्ट आचरण करने पर प्राचार्य ऐसे छात्र/छात्रा को शिक्षण शुल्क पर दी गई मुक्ति रद्द कर सकता है।

कॉलेज से छात्र/छात्रा की निवृत्ति

1. प्रत्येक छात्र/छात्रा वार्षिक परीक्षा के होते ही कॉलेज से निवृत्त हो जाता है और आगामी सत्र के लिए पुनः आवेदन पत्र देने पर उसे प्रवेश मिलता है। यदि कोई छात्र सत्र के बीच में कॉलेज छोड़ना चाहे तो उसे लिखित में आवेदन करना चाहिए।
2. किसी भी छात्र/छात्रा को स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र तब ही मिलेगा जबकि उसने शुल्क जमा कराकर पुस्तकालय व अन्य विभागों से बकाया मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया हो।
3. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा तथा आवश्यक शुल्क जमा करना होगा।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

- सेमेस्टर प्रणाली में विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक छात्र/छात्रा की न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्य सरकार तथा कॉलेज शिक्षा द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया गया है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही दी जाएगी, चाहे छात्र ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो।
- संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले छात्र इस संदर्भ में सतर्क रहें। प्रत्येक छात्र का दायित्व है कि वह हर माह के अन्त में सम्बन्धित प्राध्यापक से अपनी उपस्थिति ज्ञात कर लें। उपस्थिति कम होने की दशा में वार्षिक परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जायेगा।
- दशहरा, दीपावली अवकाश, शीतकालीन अवकाश तथा वार्षिक परीक्षा से पूर्व जिन छात्रों की उपस्थिति वांछित उपस्थिति से कम होगी, उनकी सूचना, सूचना-पट्ट पर लगा दी जायेगी।

विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने सम्बन्धी नियम

1. सभी संकायों की सभी सेमेस्टर परीक्षाएँ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित होंगी।
2. विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र/छात्रा को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी :-
 - (क) सभी छात्र/छात्राओं को प्रत्येक सेमेस्टर में विश्वविद्यालय परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा।
 - (ख) वह विश्वविद्यालय में नामांकित हो गया है एवं सत्र में सभी विषयों में न्यूनतम उपस्थिति 75% हो।
 - (ग) छात्र/छात्रा ने कॉलेज के प्रति सभी प्रकार की देयता का भुगतान करके बकाया अदेयता प्रमाण-पत्र (NO- Dues) ले लिया है।

पुस्तकालय एवं वाचनालय के नियम

1. कॉलेज के पुस्तकालय एवं वाचनालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों का उत्कृष्ट संग्रह है और प्रतिवर्ष नियमित रूप से नई पुस्तकें भी खरीदी जाती हैं।
2. वाचनालय में दैनिक समाचार-पत्र, विभिन्न विषयों एवं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अनेक पत्र-पत्रिकाएँ नियमित रूप से उपलब्ध रहती हैं।
3. प्रत्येक छात्र/छात्रा से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह पुस्तकालय एवं वाचनालय का अधिकाधिक उपयोग करें एवं अपना समय इधर-उधर व्यर्थ नष्ट न करें।

(क) पुस्तकालय सम्बन्धी नियम :-

- (1) पुस्तकालय पूर्वाह्न 10.00 बजे से सायं 4.00 बजे तक खुला रहेगा।
- (2) प्रत्येक छात्र/छात्रा को प्रवेश के बाद कम्प्यूटरकृत पहचान पत्र दिया जायेगा जिसके द्वारा पुस्तकालय से एक समय में दो पुस्तकें अधिकतम 1 माह हेतु जारी की जायेगी।
- (3) यदि पुस्तक 1 माह बाद तक नहीं लौटाई गई तो 2 रुपया प्रतिदिन (अवकाश के दिनों सहित) विलम्ब शुल्क देना होगा।
- (4) पुस्तक एक बार देने के पश्चात् दूसरी बार ठीक आगामी अवधि के लिए तब ही दी जायेगी जबकि अन्य छात्र/छात्रा ने उक्त पुस्तक की मांग न की हो। यह अवधि 7 दिन से अधिक नहीं होगी और इसके समाप्त होने के पश्चात् तीसरी बार पुस्तक नहीं दी जायेगी।
- (5) पुस्तकालय से संदर्भ पुस्तकें एवं पत्र-पत्रिकाएँ किसी भी छात्र/छात्रा को घर के लिए नहीं दी जायेगी।
- (6) पुस्तक लेते समय छात्र/छात्रा देख लें कि पुस्तक में पृष्ठ सही है। पुस्तक कहीं कटी-फटी तो नहीं है। यदि वापसी के समय पृष्ठ कम पाये गये तो इसका उत्तरदायित्व उस छात्र/छात्रा का ही होगा। दोषी छात्र/छात्रा को पुस्तक का पूरा मूल्य अदा करना होगा तथा उसे 50 रु. से दण्डित भी किया जा सकता है।

- (7) सत्र के समाप्त होने से पूर्व प्रत्येक छात्र/छात्रा को सभी पुस्तकें पुस्तकालयाध्यक्ष को लौटाकर बकाया मुक्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा, जिसके बिना उसको प्रवेश-पत्र नहीं मिलेगा।
- (8) पुस्तकालय व वाचनालय संबंधी कोई भी शिकायत होने पर छात्र/छात्रा पुस्तकालयाध्यक्ष से सम्पर्क करें।

(ख) वाचनालय सम्बन्धी नियम :-

- (1) वाचनालय कक्ष में छात्र/छात्राओं द्वारा बात करना, शांति भंग करना या अन्य पाठकों के अध्ययन में विघ्न डालना वर्जित है। जो छात्र/छात्रा ऐसा करते पाये जायेंगे उनके प्रति कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
- (2) यदि छात्र/छात्रा पुस्तकालय या वाचनालय की किसी सम्पत्ति, पुस्तक व पत्र-पत्रिका को किसी प्रकार की क्षति पहुँचाता पाया जायेगा तो उसे सख्त दण्ड दिया जायेगा। ऐसे अपराधी को उस वस्तु की, जिसे उसने क्षतिग्रस्त किया है पूरी कीमत देनी होगी तथा अपराध की गम्भीरता के अनुसार प्राचार्य द्वारा उसे अन्य दण्ड भी दिया जा सकता है।

छात्र संघ :- चुनाव नहीं करवाये जाते हैं।

छात्र कल्याण परिषद्

छात्र कल्याण परिषद् के गठन में एक अधिष्ठाता, दो सह अधिष्ठाता व पाँच सदस्य होते हैं। यह परिषद् छात्र/छात्राओं की नीतियों को समन्वित, प्रोत्साहित एवं निर्देशित करती है। छात्र/छात्रा संघ इसकी प्रमुख इकाई के रूप में कार्य करता है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

- (1) कॉलेज में छात्र/छात्राओं में सहयोग, राष्ट्रीय एकता व भाईचारे की भावना उत्पन्न करना।
- (2) कॉलेज में छात्र/छात्राओं के कल्याण हेतु कार्य करना।
- (3) व्यक्तिगत तथा संस्था संबंधी मामलों के प्रति स्वस्थ, अनुशासनात्मक संतुलित दृष्टिकोण का सृजन करना।
- (4) छात्र/छात्राओं में सेवा के प्रति निःस्वार्थ भाव विकसित करना।
- (5) कॉलेज में सामाजिक, बौद्धिक तथा सांस्कृतिक जीवन का प्रवर्तन करना।

शैक्षणिक गतिविधि मंच

इस मंच का उद्देश्य छात्र/छात्राओं को सभी विषयों का ज्ञान कराना है। इस मंच के अन्तर्गत व्याख्यान, सेमिनार व विभिन्न शैक्षणिक प्रतियोगिताएँ आयोजित की जाती हैं।

परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त किये हों, इस मंच के सदस्य मनोनीत किये जायेंगे।

इस मंच का कार्य प्राध्यापकों की एक समिति, जिसमें सभी संकायों के प्राध्यापक सम्मिलित होंगे, चलायेगी।

योजना मंच

इस मंच में सभी संकायों के छात्र/छात्रा भाग ले सकते हैं। यह मंच राष्ट्र के विकास, अभिवृद्धि तथा राष्ट्रीय एकीकरण के कार्यक्रमों में छात्र/छात्राओं की रुचि जागृत करता है।

अन्य परिषदें

फोटोग्राफी क्लब, छात्र/छात्रा परामर्शदात्री समिति, सांस्कृतिक परिषद् एवं संगीत क्लब पर्यावरण संरक्षण क्लब, रेड रिबन क्लब आदि।

खेलकूद

कॉलेज खेलकूद के क्षेत्र में भी विशिष्टता रखता है। यथासंभव प्रत्येक छात्र/छात्रा से कॉलेज द्वारा चलाये जा रहे खेलों में भाग लेने की आशा की जाती है।

प्रत्येक सत्र के लिए खेलकूद बोर्ड की संस्तुति पर प्राचार्य विभिन्न खेलों के कप्तानों की नियुक्ति करते हैं।

कॉलेज द्वारा प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं को राजस्थान विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं तथा अन्य प्रतियोगिताओं में भी भाग लेने के लिए भेजा जायेगा। कॉलेज वॉलीबॉल, फुटबाल, बास्केटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेबिल-टेनिस, क्रिकेट, कबड्डी, भारोत्तोलन, कुश्ती, तैराकी, जिमनास्टिक, शतरंज, एथलेटिक्स व खो-खो इत्यादि खेलों की व्यवस्था करता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (नेशनल सर्विस स्कीम)

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा छात्र/छात्रा को उसके शिक्षणकाल में ही सामाजिक सरोकारों से सक्रिय रूप से जुड़कर अपनी सहभागिता निभाते हुए स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने का अवसर दिया जाता है। यहाँ उसे समूह में रह कर नेतृत्व की कुशलता अर्जित करने और कर्तव्यों को यथार्थ के ठोस धरातल पर व्यावहारिक रूप से समझने का सुयोग भी मिलता है। साथ ही वह अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर अपनी सामाजिक भूमिका को सुनिश्चित करने की समझ विकसित करता है।

एन.एस.एस. में छात्र/छात्राओं को तीन एक दिवसीय शिविर और नियमित गतिविधियों के अन्तर्गत 240 घण्टे कार्य करना होता है और एक विशेष शिविर लगाया जाता है जिसमें गाँव या बस्ती में दस दिन रहकर 240 घण्टे कार्य किया जाता है।

इस कार्यक्रम के प्रमुख मुद्दों में सामाजिक जुड़ाव के अन्तर्गत साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण व जल संरक्षण, एड्स के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में कॉलेज समय-समय पर रक्तदान शिविर, ड्राइविंग शिविर, पर्वतारोहण तथा प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण के सुअवसर प्रदान करेगा।

एन.एस.एस. में पंजीकरण करवाने हेतु तिथि घोषित होने के बाद इच्छुक छात्र/छात्राओं को आवेदन-पत्र भरना आवश्यक है। कार्यक्रम अधिकारी द्वारा आवेदन-पत्रों में से चयन कर पंजीकरण किया जाता है।

छात्र/छात्राओं का प्रबन्ध में सहयोग

कॉलेज में छात्र/छात्राओं से निम्नलिखित समितियों में सहयोग लिया जाता है :-

- | | | |
|--|-----------------------|------------------------------|
| (1) शैक्षणिक परिषद् | (2) पुस्तकालय समिति | (3) स्पोर्ट्स समिति |
| (4) एन.एस.एस. | (5) सांस्कृतिक परिषद् | (6) विद्यार्थी कल्याण परिषद् |
| (7) छात्र सहायता कोष | (8) योजना मंच | (9) भाषण एवं वाद-विवाद समिति |
| (10) सामाजिक ज्ञान एवं विज्ञान प्रतियोगिता समिति | | |

छात्रवृत्तियाँ

सरकारी छात्रवृत्तियाँ :-

- | | |
|--|--|
| (1) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति | (2) राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति |
| (3) आवश्यक मय योग्यता छात्रवृत्ति | (4) अल्प आय वर्ग छात्रवृत्ति |
| (5) अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति | (6) अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति |
| (7) अंध, मूकबधिर अथवा विकलांग छात्रवृत्ति | (8) सेवारत मृत राज्य कर्मचारियों पर आश्रित छात्रों को छात्रवृत्ति |
| (9) अध्यापकों के बच्चों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति | (10) स्वतंत्रता सैनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति |
| (11) विशेष पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति | (12) श्री शंकर पटेल मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति |
| (13) भारत, पाक एवं चीन में मृतक सैनिकों के बच्चों एवं विधवाओं को छात्रवृत्ति | |

नोट :- 1. छात्रवृत्ति आवश्यक शर्तें पूरी करने एवं संबंधित विभाग से स्वीकृति पर ही मिलेगी। यदि किसी विद्यार्थी को आवश्यक शर्तें पूरी नहीं करने के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा।

2. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र पूर्ण शुल्क जमा होने पर एवं विभाग द्वारा घोषित अन्तिम तिथि से एक सप्ताह पूर्व तक ही स्वीकार किये जायेंगे तथा खाता केवल एस.बी.आई. बैंक में ही खुलवाएँ।

सामान्य नियम

- (1) किसी छात्र/छात्रा को अकारण कक्षा में अनुपस्थित रहने का अधिकार नहीं है।
- (2) छात्र/छात्राओं को कॉलेज में अपनी साईकिलें, स्कूटर आदि स्टैण्ड पर ही रखनी चाहिए। यदि कोई वाहन अन्यत्र रखा मिला तो ₹ 10 दण्ड देने पर तथा पूरी जाँच के पश्चात् ही उसको लौटाया जाएगा।
- (3) यदि किसी छात्र/छात्रा का व्यवहार कॉलेज के प्रांगण में या बाहर कहीं भी ऐसा हो, जिससे कॉलेज की गरिमा को क्षति पहुँचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह उस छात्र/छात्रा को उचित दण्ड दे सके।
- (4) छात्र/छात्राओं द्वारा धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज प्रांगण में यदि कोई छात्र/छात्रा ऐसा करता पाया गया तो उसे कॉलेज से निष्कासित किया जा सकता है।
- (5) छात्र/छात्राओं को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में बैठने से पूर्व, उन पर कॉलेज का कुछ बकाया है तो उसे चुका कर अदेयता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेना चाहिए अन्यथा प्राचार्य उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।
- (6) छात्र/छात्राओं को प्रतिदिन कॉलेज के सूचना-पट्ट को अवश्य देखना चाहिए, कॉलेज ऐसे किसी बहाने को नहीं मानेगा कि छात्र/छात्रा ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी।
- (7) मोबाइल नम्बर परिवर्तन होने की स्थिति में नया नम्बर अपडेट करवाने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की स्वयं की होगी।
- (8) कॉलेज के सभी नियमित छात्र/छात्राओं को प्रतिवर्ष एक परिचय-पत्र प्रवेश के साथ दिया जायेगा। परिचय-पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए परिचय-पत्र सत्र में एक बार ही दिया जायेगा। विशेष परिस्थिति में ₹ 100/- शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय-पत्र दिया जा सकेगा। यह सुविधा भी सत्र में केवल एक बार ही दी जायेगी।
- (9) छात्र/छात्राओं को प्राध्यापक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा कॉलेज के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए।
- (10) कॉलेज के नियमित छात्र/छात्राओं को कॉलेज के प्रमाण-पत्र पर रेल्वे या बस द्वारा रियायती टिकट दिये जाते हैं। रेल्वे या बस कन्सेशन दोनों ही केवल स्थायी पते के लिये मिलते हैं। रेल्वे कन्सेशन व बस कन्सेशन दशहरा, दीपावली, शीतकालीन तथा ग्रीष्मकालीन अवकाश के लिए ही दिया जा सकता है। रेल्वे कन्सेशन के लिए निर्धारित शुल्क ₹ 10/- जमा कराना होगा। अतः प्रत्येक छात्र/छात्रा को जो इस प्रकार की सुविधा प्राप्त करने का इच्छुक है, प्रवेश आवेदन-पत्र में अपने स्थायी निवास स्थान का नाम ठीक लिखना चाहिए। आवेदन-पत्र में लिखे स्थायी निवास स्थान में सामान्यता कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा। यदि स्थायी पते का स्थान ऐसा हो, जहाँ सीधी रेल या बस न जाती हो तो आवेदन-पत्र में निकटतम स्थान का नाम ही भरना होगा, जहाँ रेल या बस पहुँचती है। यात्रा करते समय प्रत्येक छात्र/छात्रा को अपने साथ कॉलेज का परिचय-पत्र रखना चाहिए। रेल्वे या बस कन्सेशन के लिए एक निश्चित आवेदन-पत्र लगभग एक सप्ताह पूर्व भरना होगा।
- (11) चरित्र प्रमाण-पत्र वर्ष में अधिक से अधिक दो बार दिया जा सकता है। एक प्रमाण-पत्र का शुल्क ₹ 100/- होगा। कोई भी छात्र/छात्रा कॉलेज से मुद्रित चरित्र प्रमाण-पत्र के अतिरिक्त अन्य रूप से प्रमाण-पत्र चाहता है तो वह आवेदन करने व ₹ 100/- का शुल्क जमा कराने पर दिया जा सकेगा।
- (12) प्रवेश पाने के बाद प्रत्येक छात्र/छात्रा कॉलेज का अभिन्न अंग बन जाता है। उसका हर सुख-दुःख कॉलेज का सुख-दुःख है, अतः उसे कॉलेज के गौरव को बढ़ाने में लीन रहना चाहिए।
- (13) प्राचार्य द्वारा इन नियमों की व्याख्या एवं छात्र/छात्राओं से संबंधित शैक्षणिक निर्णय अन्तिम होंगे।
- (14) इन नियमों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का प्राचार्य का पूर्ण अधिकार है।

कार्य दिवस सत्र 2024-25

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	रविवार	अन्य अवकाश	कार्य दिवस	विवरण
जुलाई, 2024	4	आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर अनुसार		आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि अनुसार
अगस्त, 2024	4	“ “	“ “	“ “ “
सितम्बर, 2024	5	“ “	“ “	“ “ “
अक्टूबर, 2024	4	“ “	“ “	“ “ “
नवम्बर, 2024	4	“ “	“ “	“ “ “
दिसम्बर, 2024	5	“ “	“ “	“ “ “
जनवरी, 2025	4	“ “	“ “	“ “ “
फरवरी, 2025	4	“ “	“ “	“ “ “
मार्च, 2025	5	“ “	“ “	“ “ “
कुल शिक्षण दिवस		“ “	“ “	“ “ “

नोट : आयुक्त कॉलेज शिक्षा द्वारा जारी शैक्षणिक कलैण्डर मान्य होगा।

1. प्रवेश प्रक्रिया - आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार।
2. सत्र/शिक्षण कार्य प्रारम्भ - आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार।
3. अन्तिम शिक्षण दिवस - “ “ “
4. सत्र का अन्तिम कार्य दिवस - “ “ “
5. परीक्षा अवधि - विश्वविद्यालय द्वारा जारी परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार
6. ग्रीष्मावकाश - आयुक्तालय द्वारा घोषित तिथि के अनुसार।



मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ..

मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ..
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो..

हैं फूल रोकते, कांटे मुझे चलाते..
मरुस्थल, पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते..
सच कहता हूँ जब मुश्किलें ना होती हैं..
मेरे पग तब चलने में भी शर्माते..
मेरे संग चलने लगे हवाएं जिससे..
तुम पथ के कण-कण को तूफान करो..

मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ..
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो..

फूलों से जग आसान नहीं होता है..
रुकने से पग गतिवान नहीं होता है..
अवरोध नहीं तो संभव नहीं प्रगति भी..
है नाश जहां निर्मम वहीं होता है..
मैं बसा सुकून नव-स्वर्ग 'धरा' पर जिससे..
तुम मेरी हर बस्ती वीरान करो..

मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ..
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो..

मैं पंथी तूफानों में सह बनाता..
मेरा दुनिया से केवल इतना नाता..
वह मुझे रोकती है अवरोध बिछाकर..
मैं ठोकर उसे लगाकर बढ़ता जाता..
मैं ठुकरा सकूँ तुम्हें भी हंसकर जिससे..
तुम मेरा मन-मानस पाषाण करो..

मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ..
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो..

-गोपाल दास नीरज

कॉलेज में एन.एस.एस. ईकाई द्वारा आयोजित शिविर



कॉलेज में हॉन्डा कम्पनी द्वारा आयोजित मैगा रोड सेफ्टी कार्यक्रमों की झलकियाँ



सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए छात्र-छात्राएँ



तिलक कॉलेज के गौरव



सौरभ चौधरी
सीआईएफएस गृह मंत्रालय



मोहन लाल सैनी
राजस्थान पुलिस



कृष्णा चौधरी
राजस्थान पुलिस



ईश्वर लाल मीना
दिल्ली पुलिस



सुनिल कुमार मीणा
दिल्ली पुलिस



बन्टी मीना
राजस्थान हाइकोर्ट



संदीप मीना
राजस्थान हाइकोर्ट



श्यामसुन्दर मीना
राजस्थान हाइकोर्ट



सोनिया मीना
राजस्थान हाइकोर्ट



रोहित कुमार
राजस्थान हाइकोर्ट



राजेन्द्र कुमार मीना
आर.आर.बी.



प्रभुनारायण मीना
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग



प्रदीप मीना
एस.एस.सी.जी.एल.



निरंका मीना
राजस्थान शिक्षा विभाग



रमेश चन्द मीना
राजस्थान शिक्षा विभाग



बुद्धा राम मीना
विद्युत विभाग राजस्थान



अजय मीना
मध्यप्रदेश बैंक



हीरालाल मीना
एन.टी.पी.सी.



अशोक कुमार गोतम
राजस्थान खादी बोर्ड



रघुवीर मीना
भारतीय रेलवे



रोहिताश मीना
भारतीय रेलवे



राकेश कुमार मीना
भारतीय रेलवे



जगदीश प्रसाद मीना
भारतीय रेलवे



राधा मोहन मीना
भारतीय रेलवे



महेन्द्र शर्मा
भारतीय रेलवे

तिलक कॉलेज के गौरव



रामकेश मीना
भारतीय रेलवे



आचूकी मीना
भारतीय रेलवे



विनोद कुमार बैरवा
भारतीय रेलवे



हरफूल मीना
भारतीय रेलवे



नरेश कुमार मीना
भारतीय रेलवे



दीपक कुमार मीना
भारतीय रेलवे



हंसराज मीना
भारतीय रेलवे



बजरंग लाल मीना
भारतीय रेलवे



नरेन्द्र कुमार मीना
भारतीय रेलवे



दीपक मीना
भारतीय रेलवे



विनोद कुमार मीना
भारतीय रेलवे



लालाराम मीना
भारतीय रेलवे



कुलदीप सिंघाडिया
भारतीय रेलवे



राकेश मीना
भारतीय रेलवे



जगमोहन जांगीड
भारतीय रेलवे



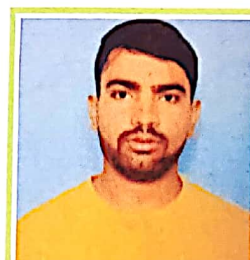
लेखराज शर्मा
भारतीय रेलवे



अजय राज मीना
भारतीय रेलवे



फैलीराम मीना
भारतीय रेलवे



दिनेश कुमार मीना
भारतीय रेलवे



राधाकृष्ण मीना
भारतीय रेलवे



राकेश कुमार मीना
भारतीय रेलवे



कृष्णलाल मीना
भारतीय रेलवे



देशराज मीना
भारतीय रेलवे



गोविन्द शर्मा
भारतीय रेलवे



जितेश कुमार मीना
भारतीय रेलवे



Our Faculty & Staff



Mr. Ramchandra Meena
Asst. Prof. of Pol. Sc.



Mr. Rajendra Meena
Asst. Prof. of Sociology



Mr. Deepak Rathore
Asst. Prof. of BADM



Dr. Veeresh Kumar
Asst. Prof. of Physics



Mrs. Madhu Sain
Asst. Prof. of Hindi



Mr. Rahul Raj Meena
Asst. Prof. of Pol. Sc.



Dr. Girraj Sharma
Asst. Prof. of Zoology



Dr. Vinod Kumar Sablaniya
Asst. Prof. of EAFM



Dr. Rajendra Meena
Asst. Prof. of History



Mrs. Anita Meena
Asst. Prof. of Hindi



Mr. Buddhi Prakash Meena
Asst. Prof. of Geography



Mr. Ankush Meena
Asst. Prof. of Geography



Miss. Anju Kumari
Asst. Prof. of Geography



Mr. Chandra Shekhar Singh
Asst. Prof. of History



Mrs. Prem Meena
Asst. Prof. of English



Dr. Neetu Singh Chouhan
Asst. Prof. of Hindi

Our Faculty & Staff



Mr. Kamlesh Kumar Yadav
Asst. Prof. of Chemistry



Dr. Uzma Rani
Asst. Prof. of Botany



Mr. Chandramohan Vashist
Asst. Prof. of Mathematics



Mr. Munshi Lal Meena
Asst. Prof. of Mathematics



Mrs. Santosh Meena
Asst. Prof. of Pol. Science



Mr. Fateh Singh
Office Suptd.



Mrs. Sona Sharma
UDC



Mr. Shyoram Meena
UDC



Mr. Mool Chand Meena
UDC



Mrs. Annu Raigar
LDC



Mr. Mahesh Swami
Computer OPE.



Mr. Hemendra Bilonia
Librarian



Mr. Ghanshyam Bairwa
Computer OPE.



Mr. Rajesh Meena
LDC



Mr. Manish Sharma
UDC

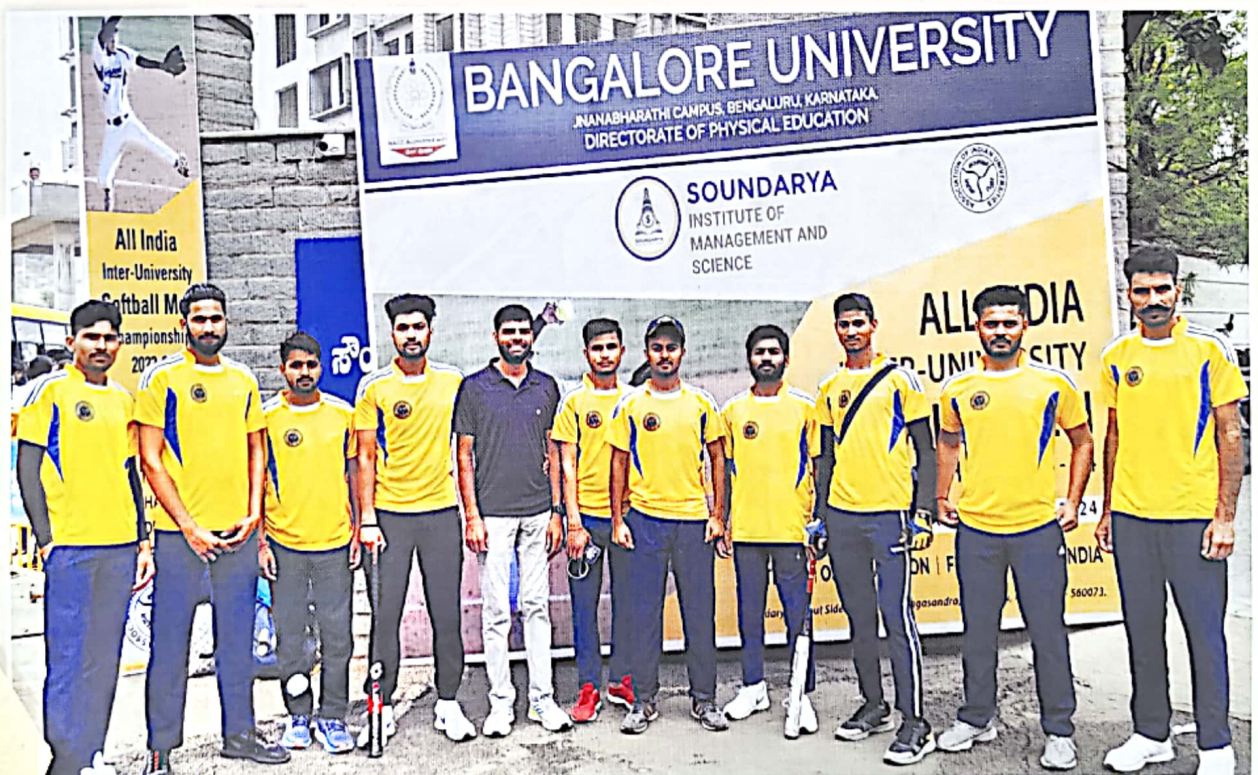


Mr. Deepak Meena
Asst. Librarian

Scanned with OKEN Scanner



24वीं SQAY National Championship 2024 में रजत पदक प्राप्त करती हुई कॉलेज के तृतीय वर्ष की छात्रा रेखा गोलाड़ा



ऑल इण्डिया इन्टर यूनिवर्सिटी सॉफ्टबॉल (पुरुष वर्ग) चैम्पियनशिप के क्वाटर फाइनल में राजस्थान विश्वविद्यालय की टीम में कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्र लोकेश बिलोनिया।



हमें ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जिनके चेहरों पर आभा, बुद्धि में पाण्डित्य, शरीर में बल, मन में प्रचण्ड इच्छा-शक्ति, जीवन में स्वावलम्बन, हृदय में शिवा, प्रताप, धृय, प्रह्लाद की जीवन गाथाएं अंकित हो और जिन्हें देखकर महापुरुषों की स्मृतियां झंकृत हो उठें।

—स्वामी विवेकानन्द

खादी समिति के सामने, बस्सी, जयपुर-303301
फोन : 01429-226801
मो. 9785195777, 9785670777, 9785100028
e-mail : tilakpgcollege@gmail.com
www.tilakpgcollege.com | tpgc.org.in
f Tilak P.G. College, Bassi, Jaipur
tpgc_bassi

Helpline No. 7823888999

मूल्य : ₹150

मुद्रक : हरिहर प्रिण्टर्स, जयपुर 2600850